न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 113/2019

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

रूपाराम पुत्र श्री बाबराजी जाति रेबारी आयु 51वर्ष पेशा खेती और दूध व्यापार निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री. ऋषि माथुर वकील प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार (ना.तह.कालन्द्री)

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 31 –8–2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 6–12–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खाता संख्या 281 खसरा नंबर 707 रकबा 01.4200 हैक्टेयर , खसरा नंबर 715 रकबा 00.0800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 716 रकबा 00.0800 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 रकबा 01.5800 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि रही है। प्रार्थी उक्त भूमि पर पिछले कई वर्षो से अपने पिता कें समय से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी के लिये उसके खातेदारी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता अंकित नही है जिससे प्राथी उसके खातेदारी की कृषि भूमि मे खसरा नंबर 708 की भूमि मेसे (संलग्न नक्शे मे वर्णित "ए" से "बी" रास्ते से) पिछले कई वर्षो से आता आता रहा है और उक्त "ए" से "बी" रास्ते का उपभोग कई वर्षो से करता आ रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे उक्त भाग रास्ते के रूपम` अंकित नही होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी ,ट्रेक्टर ,बैलगाडी ,लाने ले जाने हेतु कईबार समस्याओं का सामना करना पडता है, प्रार्थी मध्यम वर्ग का काश्तकार व्यक्ति है जिनके पुरे परिवार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested

भरण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता हैऐसी स्थिति मे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की शक्त आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने ,फसल बोने ,जोतने हेतु ट्रेक्टर एवं बैलगाडी लाने ले जाने हेतु कदीमी से कोई रास्ता नक्शे मे एवं मौके पर मौजूदी नही है। जिससे प्रार्थी को कईबार आने जाने मे परेशानीयों का भी सामना करना पडता है। प्रार्थी को अप्रार्थी राज्य सरकार के बिलानाम खाता सं.01 श्री सरकार की मौजा तंवरी तहसील व जिला सिरोहीर की बिलानाम भूमि खसरा नंबर 708 की कृषि भूमि मे दर्शाये संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार मार्क "ए" से "बी" हिस्से मे 12 फीट चौडा और मौके अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे अंकित किये जाने के आदेश पारित करना फरमावें । इसके लिये प्रार्थी राज्य सरकार को नियमानुसार शुल्क भी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा तंवरी की जमाबंदी संवत 2071 –2074 खाता नंबर 281 खसरा नंबर 707 रकबा 01.4200 हैक्टेयर , खसरा नंबर 715 रकबा 00.0800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 716 रकबा 00.0800 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 रकबा 01.5800 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी स्टेट की बिलानाम खातेदारी की कृषि भूमि खातेदारी कृषि भूमि मौजा तंवरी की जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता नंबर 01 खसरा नंबर 708 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 6–12–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रार्थनापत्र की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 25–2–2019 को अप्रार्थी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । विचारण प्रकरण मे न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 14–2–2020 को अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने जवाब मे यह कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम तंवरी तहसील सिरोही मे जमाबंदी संवत 2071 –2074 खाता नंबर 281 खसरा नंबर 707 रकबा 01.4200 हैक्टेयर , खसरा नंबर 715 रकबा 00.0800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 716 रकबा 00.0800 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 रकबा 01.5800 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी द्वारा स्वंय की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु बिलानाम खसरा नंबर 708 मेसे 12 फुट चाहा गया है। प्रार्थी के खसरा नंबर 707 ,715 ,व 716 मे आवागमन हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी के भूमि मे आने जाने के लिये खसरा नंबर 708 किस्म भूमि कातरा राज्य सरकार की बिलानाम रकबा कुल 0.4800 हैक्टेयर मेसे विवरण निम्नानुसार है::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम नाम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टेयर	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	भूमि किस्म / खातेदार
तंवरी	708	0.4800	लंबाई= 108 मीटर चौडाई= 3.65 मीटर कुल क्षैत्रफल= 394 वर्ग मीटर या (0.0394 हैक्टेयर)	बिलानाम(कातरा) राज्य सरकार

उक्त जवाब प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम तंवरी की सडक के निकट की वर्तमान डी.एल.सी दर एवं प्रस्तावित रास्ते की भमि मे कोई वृक्ष या निर्माण नही है। अतः रास्ते संबंधिम सजांच रिर्पोट मय नक्शा ट्रेस जमाबंदी सहित श्रीमान को नियमानुसार रास्ते देने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली वास्ते वकील उभय पक्षकारान व पैरोकार सरकार की प्रार्थनापत्र .अ.धा. 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस दिनांक 17–8–2020 को रखी गई

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्राथी तथा एवं अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थी ने उसकी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे खातेदारी भूमि मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः प्रार्थी को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी ,ट्रैक्टर ,बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्कता होने से एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्व नही होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे भी रास्ता मौके एवं रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। एव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को आवागमन के लिये मौजा तंवरी के खसरा नंबर 708 रकबा 0.4800 हैक्टेयर मेसे लंबाई= 108 मीटर × चौडाई= 3.65 मीटर कुल क्षैत्रफल बराबर 394 वर्गमीटर या 0.0394 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested

1955 के तहत धारा 251 (क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प0(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है :–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और
(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को मौजा तंवरी के बिलानाम सरकारी कृषि भूमि खसरा नंबर 708 रकबा 0.4800 हैक्टेयर मेसे लंबाई=108 मीटर ×चौडाई= 3.65 मीटर कुल क्षैत्रफल बराबर 394 वर्गमीटर या 0.0394 हैक्टेयर रास्ते की भूमि किमत राशि का उपरोक्तानुसार भुगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय आज दिनांक –8–2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(हंसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 31 –8–2020 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested